

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.11/2018-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के खंड 108 जिसने अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल प्राप्त कर लिया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में आने वाले और नीचे की सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल को वित्त विधेयक, 2018 के उक्त खंड के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण सामाजिक कल्याण प्रभार से छूट प्रदान करती है :

परंतु उक्त सारणी के क्रम संख्यांक 7, 8 और 52 पर विनिर्दिष्ट माल की दशा में, इस सूचना के अधीन छूट उसमें वर्णित संबद्ध छूट अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट शर्त, यदि कोई हो, के अधीन होगी ।

सारणी

क्र.सं.	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	निम्नलिखित शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आने वाले सभी माल- 0207 13 00, 0207 14 00, 0402 21 00, 0402 10, 0405 10 00, 0405 90, 0703 20 00, 0713 10 00, 0802 11 00, 0805 40 00, 0806 20, 0808 10 00, 0809 40 00, 0813 20 00, 0901 11, 0901 90 10, 1006, 1502, 1515 30 90, 2207 10, 2208, 2510 20, 3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51, 3105 59 00, 3105 60 00, 3105 90, 3818, 4011 30 00, 5105 29 10, 5111, 5112, 5113, 5208 41, 5208 42, 5208 49, 5208 51, 5208 52, 5208 59, 5209 41, 5209 42 00, 5209 43, 5209 51, 5209 52, 5209 59, 5210 41, 5210 49, 5210 51, 5210 59, 5211 41, 5211 42 00, 5211 43, 5211 51, 5211 52, 5211 59, 5212 15 00, 5212 24 00, 5212 25 00, 5407 10, 5407 41, 5407 42, 5407 43 00, 5407 44, 5407 51, 5407 52, 5407 53 00, 5407 54, 5407 69 00, 5407 71, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81, 5407 82, 5407 83 00, 5407 84, 5407 91, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, 5408 22, 5408 23 00, 5408 24, 5408 31, 5408 32, 5408 33 00, 5408 34, 5511 10 00, 5511 20 00, 5511 30, 5512 19, 5512 29, 5512 99, 5513 21 00, 5513 23 00, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14, 5516 24 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 93 00, 5516 94 00, 5702

	<p>32, 5702 42, 5702 92, 5703 20, 5703 30, 5704 20, 5704 90, 5801, 5802 19, 5804, 5810 10 00, 6001 92 00, 6101 20 00, 6101 30, 6102 10 00, 6102 20 00, 6102 30, 6104 19 (ऊन या सूक्ष्म पशु बाल या सूत के सिवाए), 6104 41 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6104 49, 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00 6104 59, 6104 62 00, 6104 63 00, 6105, 6106, 6107 11 00, 6107 12, 6108 21 00, 6108 22, 6108 91 00, 6108 92, 6109, 6110, 6201 11 00, 6201 12, 6201 13, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, 6202 11, 6202 12 00, 6202 13 00, 6202 91, 6202 92, 6202 93, 6203, 6204 11 00, 620413 00, 6204 19, 6204 31 00, 6204 32 00, 6204 33 00, 6204 39, 6204 41, 6204 42, 6204 43, 6204 44 00, 6204 49, 6204 51 00, 6204 61, 6204 62 00, 6204 69, 6205, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00, 6207 11 00, 6207 19, 6207 99 (मानव निर्मित फाइबर के माल से भिन्न), 6208 11 00, 6208 19, 6208 91, 6208 92, 6210 20, 6210 30, 6210 40, 6210 50 00, 6211 32 00, 6211 33 00, 6211 42, 6211 43 00, 6212, 6214 10, 6214 20, 6214 90, 6215, 6301 20 00, 6302 21 00, 6302 31 00, 8472 90 91, 8470, 8471, 8473 21 00, 8473 29 00, 8473 50 00 (8472 90 91 से 8472 90 95 शीर्ष के भागों के सिवाए)], [लाईन टेलीफोन सेटों और लाईन विडियोफोनों के शीर्ष 8517, 8519 50 00, ध्वनि अभिलेखन या अन्य फिनोमिना के समरूप अभिलेखन के लिए सभी तैयार गैर-अभिलिखित मीडिया, अध्याय 37 के उत्पादों से भिन्न (चुम्बकीय पट्टी लगे हुए कार्डों को छोड़कर) 8523 शीर्ष,], [शीर्ष 8523 के ध्वनि या चित्र से भिन्न पुनर्उत्पादक फिनोमिना के लिए अभिलिखित मीडिया], 8531 20, 8532, 8533, 8534 00 00, 8541, [8523 52 or 8542 90 00], 8543 59 10 8543 70 11, 9013 80 10, 9013 90 10, 9026, 9027 20 00, 9027 30, 9027 50, टैरिफ मद के इलेक्ट्रॉनिक समेकित परिपथ और सूक्ष्म असेम्बलियों के भाग [9027 80(एक्सपोजर मीटर के सिवाए)], 9030 40 00, 9030 82 00</p>
2.	कालीन और अन्य फर्श बिछायतें, बुनी हुई, गुच्छे या लच्छेदार नहीं, उप-शीर्ष 5702 50 के अधीन आने वाले मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री
3.	पुरुषों या लड़कों के ओवर कोट, कार कोट, कैप, क्लोक्स, एनोरेक्स (स्की-जैकेट सहति, विंडचीटर, विंड-जैकेटों और सामान्य वस्तुएं, बुने हुए या क्रोशियाकृत 6103 शीर्ष से भिन्न, ऊन या उत्कृष्ट पशु बाल, 6101 90 90 टैरिफ मद के अधीन आने वाले
4.	निम्नलिखित शीर्षों या उप-शीर्षों के अधीन आने वाले अपहोलेस्ट्री फैब्रिक - 5208 39, 5209 31, 5209 32, 5209 39, 5209 49, 5210 39, 5211 31, 5211 32, 5211 39, 5211 49, 5407 61, 5516 22 00, 5516 23 00, 5802 30 00 स्पष्टीकरण :- अपहोलेस्ट्री फैब्रिक से फर्नीचर या दीवारों को ढकने में जैसे पर्दे या वालहेंगिंग में प्रयुक्त सामग्री और जिसमें फैब्रिक कवरिंग और ऑटोमोबाइल, हवाई जहाजों या रेल रोड यात्री कारों में प्रयोग होने वाले सम्मिलित हैं
5.	टैरिफ मद 0405 20 00 के अधीन आने वाले डेरी स्प्रेड दूध वसायुक्त न्यूनतम 75% सहित लेकिन 80% से कम भार द्वारा
6.	0802 80 के उप-शीर्षक के अधीन आने वाले पूंगी फल

7.	भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 785 (अ) तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना सं; 50/2017 सीमशुल्क तारीख 30 जून, 2017 से उपाबद्ध सारणी के क्रम संख्यांक 103 के अधीन आने वाले माल से भिन्न 2106 90 उप-शीर्ष के अधीन आने वाले सभी माल
8.	भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 785 (अ) तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना सं; 50/2017 सीमशुल्क तारीख 30 जून, 2017 से उपाबद्ध सारणी के क्रम संख्यांक 239 के अधीन आने वाले मालों से भिन्न उप-शीर्ष 3302 10 के अधीन आने वाले सभी माल
9.	भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 290 (अ) तारीख 2 जून, 1998 में प्रकाशित अधिसूचना सं 25/1998 सीमशुल्क तारीख 2 जून, 1998, के अधीन आने वाले सभी माल
10.	8443 शीर्ष के अधीन आने वाले फेसीमाइल मशीने और टेलीप्रिंटर
11.	8517 69 50, 8517 69 60, 8517 69 70, 8517 69 90 और 8517 70 10 टैरिफ मदों के अधीन आने वाले सभी माल
12.	टैरिफ मद 8443 31 00 और उप-शीर्ष 8443 32 के अधीन आने वाले सभी माल के भाग और उपसाधन (उप-शीर्ष 8443 99 के अधीन आने वाले)
13.	उप-शीर्ष 8517 62 के अधीन आने वाली स्वचालित आंकड़ा प्रसंशकरण मशीनों की यूनितें
14.	टैरिफ मद 8528 42 00, 8528 52 00 या 8528 6200 के अधीन आने वाले सभी माल
15.	टैरिफ मद 8443 31 00 या उप-शीर्ष 8443 32 के अधीन आने वाले सभी माल
16.	उप शीर्ष 8473 30 के अधीन आने वाले सभी माल
17.	टैरिफ मद 8528 42 00, 8528 52 00 या 8528 6200 के अधीन आने वाले माल के भाग और उपसाधन (शीर्ष 8529)
18.	टैरिफ मद 8472 90 30 के अधीन आने वाले स्वचालित टैलर मशीन
19.	उप-शीर्ष 8473 40 के अधीन आने वाले वर्डप्रोसेसिंग मशीनों के लिए मुद्रित परिपथ असेम्बलियां
20.	उप-शीर्ष 8473 40 के अधीन आने वाले स्वचालित टैलर मशीनों के लिए मुद्रित परिपथ असेम्बलियां
21.	उप-शीर्ष 8504 40 के अधीन आने वाले स्वचालित आंकड़ा प्रसंस्करण मशीनों और उनकी यूनितों तथा दूरसंचार उपस्करों के लिए स्टैटिक कन्वर्टर
22.	उप- शीर्ष 8504 50 के अधीन आने वाले स्वचालित आंकड़ा प्रसंस्करण मशीनों और उनकी यूनितों तथा दूरसंचार उपस्करों के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु अन्य इंडेक्टर
23.	उप-शीर्ष 8504 90 के अधीन आने वाले मुद्रित परिपथ असेम्बलियों के लिए - (i) स्वचालित आंकड़ा प्रसंस्करण मशीनों और उनकी यूनितों तथा दूरसंचार

	<p>उपस्करों के लिए स्टैटिक कन्वर्टर, (ii) स्वचालित आंकड़ा प्रसंस्करण मशीनों और उनकी यूनिटों तथा दूरसंचार उपस्करों के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु अन्य इंडेक्टर</p>
24.	उप-शीर्ष 8518 10 के अधीन आने वाले माइक्रोफोन जिनकी आवृत्ति सीमा 300 हर्ट्स से 3,4 किलो हर्ट्स है और दूरसंचार प्रयोग के लिए उनका व्यास 10 मिमी. से अधिक और ऊंचाई 3 मिमी. से अधिक नहीं हैं
25.	उप-शीर्ष 8518 29 के अधीन आने वाले लाउडस्पीकर जिनकी आवृत्ति सीमा 300 हर्ट्स से 3,4 किलो हर्ट्स है और कोनटाइप दूरसंचार प्रयोग के लिए या कोनटाइप से भिन्न के लिए उनका व्यास 50 मिमी. से अधिक नहीं हैं
26.	उप-शीर्ष 8518 30 के अधीन आने वाले लाइन टेलीफोन हैंडसेट
27.	<p>उप-शीर्ष 8518 90 के अधीन आने वाले मुद्रित परिपथ असेम्बलियों के लिए –</p> <p>(i) माइक्रोफोन जिनकी आवृत्ति सीमा 300 हर्ट्स से 3,4 किलो हर्ट्स है और दूरसंचार प्रयोग के लिए उनका व्यास 10 मिमी. से अधिक और ऊंचाई 3 मिमी. से अधिक नहीं हैं ;</p> <p>(ii) लाउडस्पीकर जिनकी आवृत्ति सीमा 300 हर्ट्स से 3,4 किलो हर्ट्स है और कोनटाइप दूरसंचार प्रयोग के लिए या कोनटाइप से भिन्न के लिए उनका व्यास 50 मिमी. से अधिक नहीं हैं;</p> <p>(iii) लाइन टेलीफोन हैंडसेट</p>
28.	उप-शीर्ष 8522 90 के अधीन आने वाले टेलीफोन आंसरिंग मशीनों के लिए मुद्रित परिपथ असेम्बलियां
29.	शीर्ष 8523 के अधीन आने वाले सूचना प्रोद्योगिकी सॉफ्टवेयर
30.	टैरिफ मद 8525 80 20 के अधीन आने वाले डिजिटल स्टिल इमेंज वीडियो कैमरा
31.	टैरिफ मद 8517 70 90 के अधीन आने वाले रेडियो टेलीफोनी और रेडियो टेलीग्राफी के लिए उपकरणों सहित प्रयुक्त एक प्रकार के एरियल या एंटीनै
32.	<p>उप-शीर्ष 8529 90 के अधीन आने वाले प्रदोलित पीसीबी के लिए</p> <p>(i) रेडियो प्रसारण या दूरदर्शन के लिए उपकरणों से भिन्न संचार उपकरण;</p> <p>(ii) रिसेप्शन उपकरणों को लगाने वाले संचार उपकरण ;</p> <p>(iii) डिजिटल स्टिल इमेंज वीडियो कैमरा</p>
33.	उप-शीर्ष 8529 90 के अधीन आने वाले डिजिटल स्टिल इमेंज वीडियो कैमरा के लिए भाग (प्रदोलित पीसीबी से भिन्न)
34.	उप-शीर्ष 8531 80 के अधीन आने वाले स्वचालित आंकड़ा प्रसंस्करण मशीनों और दूर संचार उपकरणों में प्रयोग होने वाले एक प्रकार के फ्लैट पैनल डिस्प्लेस
35.	उप-शीर्ष 8531 90 के अधीन आने वाले लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस (एलसीडी) या प्रकाश उत्सर्जन डायोड में लगने वाले इंडिकेटर पैनलों के भाग

36.	उप-शीर्ष 8536 50 के अधीन आने वाले ऑप्टिकली कपिल्ड इनपुट और आउटपुट सर्किट (इंसुलेटेड थाइरिस्टर एसी स्वीच) वाले इलेक्ट्रॉनिक एसी स्वीच
37.	उप-शीर्ष 8536 50 के अधीन आने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्वीच जिसमें तापमान संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक स्वीच जिसमें ट्रांजिस्टर और एक लॉजिक चीप (चीप ऑन चीप प्रौद्योगिकी) सम्मिलित है जिसका 1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज न हो
38.	उप-शीर्ष 8536 50 के अधीन आने वाले इलेक्ट्रो मेकेनिकल स्नेप एक्शन स्वीच जो 11 एम्पीयर से अधिक करंट के लिए है, 5 एम्पीयर से कम कॉन्टेक्ट रेटिंग के स्वीच जो 250 वोल्ट से अधिक के नहीं हैं
39.	उप-शीर्ष 8536 69 के अधीन आने वाले कोएग्जिल केबिलों और मुद्रित परिपथों के लिए प्लग और सॉकेट
40.	उप-शीर्ष 8536 69 के अधीन आने वाले वायर और केबिलों के लिए कनेक्शन और कनेक्शन एलिमेंट
41.	उप-शीर्ष 8536 90 के अधीन आने वाले वेफरप्रोबर्स
42.	शीर्ष 8536 के निम्नलिखित मालों के लिए उप-शीर्ष 8538 90 के अधीन आने वाली सभी मुद्रित परिपथ असेम्बलियां - (i) ऑप्टिकली कपिल्ड इनपुट और आउटपुट सर्किट (इंसुलेटेड थाइरिस्टर एसी स्वीच) वाले इलेक्ट्रॉनिक एसी स्वीच ; (ii) इलेक्ट्रॉनिक स्वीच जिसमें तापमान संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक स्वीच जिसमें ट्रांजिस्टर और एक लॉजिक चीप (चीप ऑन चीप प्रौद्योगिकी) सम्मिलित है जिसका 1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज न हो; (iii) इलेक्ट्रो मेकेनिकल स्नेप एक्शन स्वीच जो 11 एम्पीयर से अधिक करंट के लिए है, 5 एम्पीयर से कम कॉन्टेक्ट रेटिंग के स्वीच जो 250 वोल्ट से अधिक के नहीं हैं; (iv) कोएग्जिल केबिलों और मुद्रित परिपथों के लिए प्लग और सॉकेट ; (v) वायर और केबिलों के लिए कनेक्शन और कनेक्शन एलिमेंट ; और (vi) वेफरप्रोवर्स ;
43.	टैरिफ मद 8543 70 99 के अधीन आने वाले इलेक्ट्रिकल मशीनें अनुवाद या शब्द-कोश कृत्यों सहित
44.	टैरिफ मद 8543 90 00 के अधीन आने वाले मुद्रित परिपथ असेम्बलियों के लिए :- (i) प्रोक्सिमिटी कार्ड और टैगों ; (ii) वाले इलेक्ट्रिकल मशीनें अनुवाद या शब्द-कोश कृत्यों सहित
45.	उप-शीर्ष 8544 42 के अधीन आने वाले दूरसंचार में प्रयोग होने वाले एक प्रकार के कनेक्टरों सहित 1000 वोल्ट से अनधिक वोल्ट के इलेक्ट्रिक कन्डक्टर
46.	टैरिफ मद 9017 10 00 के अधीन आने वाले ड्राफ्टिंग मशीनें

47.	उप-शीर्ष 9017 20 के अधीन आने वाले ड्रॉइंग मशीनें
48.	शीर्ष 9017 के ड्राफ्टिंग मशीनों या ड्रॉइंग मशीनों के लिए टैरिफ मद 9017 90 00 के अधीन आने वाले मुद्रित परिपथ असेम्बलियां
49.	शीर्ष 9027 के उत्पादों के भाग और उपसाधन, उप-शीर्ष 9027 90 के अधीन आने वाले गैस या स्मोक विश्लेषण उपकरण और माइक्रोटोम्स से भिन्न
50.	शीर्ष 2204 और 2205 तथा टैरिफ मद 2206 00 00 के अधीन आने वाले सभी माल
51.	टैरिफ मद 8517 12 10 और 8517 12 90 के अधीन आने वाले सभी माल
52.	भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 785 (अ) तारीख 30 जून, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना सं; 50/2017 सीमशुल्क तारीख 30 जून, 2017 से उपाबद्ध सारणी के क्रम संख्यांक 599 के अधीन शीर्ष 9801 के आने वाले सभी माल

[फा.सं.334/04/2018-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार